पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2377

दिनांक-28.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फरार चले रही वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय की टीम द्वारा श्रीमान मान0न्या0 स्पे0 कोर्ट एनआई एक्ट लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू परिवाद सं0 516/15 धारा 138 एनआईए एक्ट थाना कैसरबाग लखनऊ में अभि0 तौकीर हुसैन आब्दी निवासी सल्तनत मंजिल 10 हामिद पार्क ऑपोजिट सिटी स्टेशन वजीरगंज लखनऊ उम्र 61 वर्ष को दिनांक 28.09.2025 को अभियुक्त तौकीर हुसैन आब्दी के घर सल्तनत मंजिल 10 हामिद पार्क ऑपोजिट सिटी स्टेशन वजीरगंज लखनऊ से थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया । जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02-नाम पता वारन्टी अभियुक्त-

1. तौकीर हुसैन आब्दी निवासी सल्तनत मंजिल 10 हामिद पार्क ऑपोजिट सिटी स्टेशन वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 61 वर्ष

03-पंजीकृत/ वाद अभियोग का विवरण:-

परिवाद सं0 516/15 धारा 138 एनआईए एक्ट थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना प्रभारी व0उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री हैपी दिवाकर थाना वजीरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ
4. उ0नि0 श्री विकास बावू थाना वजीरगंज लखनऊ
5. का0 प्रेमचन्द्र यादव थाना वजीरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 2378
दिनांक- 28.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां
थाना निगोहां पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण –

वारण्टी अभियुक्तगण 1.शिव मोहन पुत्र लल्लू रावत 2.दिलीप पुत्र लल्लू रावत निवासीगण ग्राम सिर्स थाना निगोहाँ लखनऊ जो नियत तिथि एवं समय पर मा0 न्यायालय में उपस्थित नही हुए जिस कारण मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम कक्ष सं0 25 लखनऊ महोदय द्वारा उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु एनबीडब्ल्यू वाद संख्या 45215/ 20 अ0सं0 220/19 धारा 323/504 भादवि निर्गत किया गया।

मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष निगोहा के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण को आज दिनांक-28.09.2025 को गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02- गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तो का विवरण-

1. शिव मोहन पुत्र लल्लू रावत निवासी ग्राम सिर्स थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

i- मु0अ0सं0 220/2019 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ ।

2. दिलीप पुत्र लल्लू रावत निवासी ग्राम सिर्स थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

i- मु0अ0सं0 220/2019 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ ।

03-.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 हर्ष वर्मा
2. का0 रोहित कुमार
3. का0 विपिन कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2376
दिनांक 28.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- निगोहां

- **धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सरगना को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना निगोहां पुलिस टीम की सफलता।**

कार्यवाहीः-

थाना निगोहां पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के वांछित शातिर अभियुक्त (सरगना) **1. मलखान** पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बक्तौरीखेडा थाना निगोहां लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष को ग्राम बख्तौरी खेडा से हुलास खेडा मार्ग थाना निगोहां से गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः-

- दिनांक 27.09.2025 को वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा सूचना दिया गया कि मलखान पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बख्तौरीखेडा मजरा मेहन्दौली थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ जो अनुसूचित जाति का है। मलखान द्वारा अपने खेत पर हालनुमा मकान बनवाया गया है जिसको चर्च (प्रार्थना सभा) के रुप में प्रयोग करता है ,जिसमें प्रत्येक रविवार व गुरुवार को क्षेत्र के भोले भाले अनुसूचित जाति के महिलाओं–बच्चों के रुप में भीड इकट्ठा करके बीमारी ठीक करने के नाम पर लालच व प्रलोभन देकर व चमत्कार का बहाना बताकर पैसों का लालच देकर चंगाई सभा का आयोजन कर क्षेत्र के भोले भाले अनुसूचित जाति के महिलाओं –बच्चों को **बपतिस्मा (ईसाई दीक्षा) देकर धर्मान्तरण** कराता है। कई लोगों का धर्मान्तरण करा चुका है। जिस वजह से गांव व समाज का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है।
- उक्त सूचना पर थाना निगोहाँ पर मु0अ0स0-186/2025, धारा-3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021,बनाम-मलखान पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बख्तौरीखेडा मजरा मेहन्दौली थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ व अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर तत्काल पुलिस टीम गठित की गयी।
- थाना निगोहां में गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार वांछित अभियुक्तगण की तलाश की गयी। आज दिनांक-28.09.2025 को ग्राम बख्तौरी खेडा से हुलास खेडा मार्ग से अभियुक्त मलखान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

- पूछतांछ मे जानकारी हुई कि अभियुक्त मलखान द्वारा हिन्दू धर्म को छोडकर ईसाई धर्म को अपना लिया गया है। मलखान द्वारा अपने बच्चों के तथा भतीजों के व परिवार के अन्य लोगों के नाम परिवर्तित कर क्रिश्चियन नाम रखे गये हैं।
- अभियुक्त मलखान **यीशू चंगाई सभा नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता** है जिसमें खासकर **अनुसूचित वर्ग** के लोगों को जोडा गया है।
- अभियुक्त मलखान द्वारा **चंगाई सभा के नाम** पर क्षेत्र के अनेक भोले भाले **अनुसूचित जाति के महिलाओं –बच्चों** को इकट्ठा कर उन्हे प्रलोभन देकर **बपतिस्मा (ईसाई दीक्षा) देकर धर्मान्तरण कराया गया है**। अभियुक्त मलखान को आज गिरफ्तार किया गया एवं ईसाई धर्म से संबन्धित वस्तुओं को बरामद किया गया। अभियुक्त मलखान उपरोक्त के आर्थिक स्त्रोतों के बारे में भी जाँच की जा रही है तथा धर्मान्तरण के शिकार हुए लोगों से संपर्क कर प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है।

अनावरित अभियोग-

1. 186/2025, धारा-3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1.मलखान पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बख्तौरीखेडा मजरा मेहन्दौली थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ उम्र 43 वर्ष

बरामदगी–

1. दो किताब बाइबिल के सिद्धान्त
2. प्रचार-प्रसार की सामग्री।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना निगोहां कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम।
2.

नोट-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय द्वारा 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2379

दिनांक-28.09.2025

जोन -मध्य / थाना- आशियाना

थाना आशियाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही: वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त का पर्दाफाश।

- **01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, व 03 अदद मोटरसाइकिलें बरामद।**
- **मोटरसाईकिल लॉक तोड़ने का एक अदद औजार भी हुआ बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना आशियना क्षेत्रान्तर्गत हो रही वाहन चोरियों के संबध में प्राप्त शिकायतों/पंजीकृत अभियोगों के शीघ्र अनावरण/बरामदगी/घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त मध्य द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 27.09.2025 को थाना आशियाना, लखनऊ के प्रभारी निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में रजनीखण्ड बाजार तिराहे पर पुलिस टीम वाहनो की चेकिंग कर रही थी कि तभी मुखबिर खास ने बताया कि एक व्यक्ति नगर निगम जोन 08 की तरफ से रतनखण्ड पावर हाऊस की तरफ मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है जोकि चोरी की गयी मोटरसाइकिल है।

सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम रतनखण्ड पावर हाउस पर पहुंची, जहां उन्हें मोटरसाइकिल पर आता हुए व्यक्ति दिखाई दिया तब पुलिस वालो ने उसे रुकने का जैसे ही इशारा किया तो वह पुलिस वालो को देखकर भागने का प्रयास करने लगा पुलिस ने उसे एकबारगी दबिश देकर पकड़ लिया तथा पूछताछ की और उनके वाहनों के कागजात मांगे। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया पूछताछ और तलाशी में पता चला कि वह व्यक्ति एक शातिर चोर है जोकि अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल के लॉक को तोड़ने के औजार से इलाकों में घूम-घूम कर वाहन चोरी कर उन्हें अवैध रूप से बेचते थे।

पुलिस टीम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अंकित कुमार पुत्र स्व0 हरपाल निवासी- ग्राम व पोस्ट मन्नूबास थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड उम्र 28 वर्ष को हिरासत पुलिस लिया गया।

इस गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें थाना आशियाना में दर्ज मु0अ0सं0 514/2023 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 311/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ सहित कई अन्य थानों में दर्ज मामले भी शामिल हैं।

पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिलों के चेसिस और इंजन नंबरों की जांच कर उनके वाहन स्वामियों का पता लगाया जा रहा है।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 374/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ पंजीकृत किया गया।

02-अन्य थानों से जुड़े मामले:

थाना मानकनगर में मु0अ0सं0 50/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

थाना कृष्णानगर में मु0अ0सं0 359/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

03-अपराध का तरीका-

शातिर व्यक्ति द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर औजार के माध्यम से गाड़ियो के लॉक तोड़कर चोरी करना व गैरकानूनी तरीके से बेच देना।

04-गिरफ्तार किए गए आरोपी के नाम व विवरण:

1. अंकित कुमार पुत्र स्व0हरपाल निवासी- ग्राम व पोस्ट मन्नूबास थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड उम्र 28 वर्ष।

05.अनावरित अभियोगों का विवरण

1. मुकदमा संख्या 514/2023 धारा 379 भादवि थाना आशियाना, लखनऊ
2. मुकदमा संख्या 311/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना, लखनऊ
3. मुकदमा संख्या 374/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना आशियाना, लखनऊ
4. मुकदमा संख्या 0050/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मानकनगर, लखनऊ
5. मुकदमा संख्या 359/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर, लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

06-बरामदगी का विवरण-

- Royal Enfield METEOR 350 काले रंग की जिसका रेजिस्ट्रेशन नंबर UP32QW1974, इंजन नं0 J3A5FGS2009385 व चेचिस नं0- ME3J3A5FGS2001522 है।
- काले रंग की बुलेट UP32JQ2827 जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP32NU6061 व चेचिस नं0 ME3J3C5FFP2016930 व इंजन नं0 J3A5FFP2135941 पाया गया।
- हॉण्डा साइन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP32JQ2827 व चेचिस नं0 ME4JC735MH8012305 व इंजन नं0 JC73E81029607 पाया गया है।
- एक अदद मोटरसाईकिल का लॉक तोडने का औजार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2377

दिनांक-28.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फरार चले रही वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय की टीम द्वारा श्रीमान मान0न्या0 स्पे0 कोर्ट एनआई एक्ट लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू परिवाद सं0 516/15 धारा 138 एनआईए एक्ट थाना कैसरबाग लखनऊ में अभि0 तौकीर हुसैन आब्दी निवासी सल्तनत मंजिल 10 हामिद पार्क ऑपोजिट सिटी स्टेशन वजीरगंज लखनऊ उम्र 61 वर्ष को दिनांक 28.09.2025 को अभियुक्त तौकीर हुसैन आब्दी के घर सल्तनत मंजिल 10 हामिद पार्क ऑपोजिट सिटी स्टेशन वजीरगंज लखनऊ से थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया । जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02-नाम पता वारन्टी अभियुक्त-

1. तौकीर हुसैन आब्दी निवासी सल्तनत मंजिल 10 हामिद पार्क ऑपोजिट सिटी स्टेशन वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 61 वर्ष

03-पंजीकृत/ वाद अभियोग का विवरण:-

परिवाद सं0 516/15 धारा 138 एनआईए एक्ट थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना प्रभारी व0उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री हैपी दिवाकर थाना वजीरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ
4. उ0नि0 श्री विकास बावू थाना वजीरगंज लखनऊ
5. का0 प्रेमचन्द्र यादव थाना वजीरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 2378
दिनांक- 28.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां
थाना निगोहां पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण –

वारण्टी अभियुक्तगण 1.शिव मोहन पुत्र लल्लू रावत 2.दिलीप पुत्र लल्लू रावत निवासीगण ग्राम सिर्स थाना निगोहाँ लखनऊ जो नियत तिथि एवं समय पर मा0 न्यायालय में उपस्थित नही हुए जिस कारण मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम कक्ष सं0 25 लखनऊ महोदय द्वारा उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु एनबीडब्ल्यू वाद संख्या 45215/ 20 अ0सं0 220/19 धारा 323/504 भादवि निर्गत किया गया।

मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष निगोहा के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयी । गठित पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण को आज दिनांक-28.09.2025 को गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

02- गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तो का विवरण-

1. शिव मोहन पुत्र लल्लू रावत निवासी ग्राम सिर्स थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

i- मु0अ0सं0 220/2019 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ ।

2. दिलीप पुत्र लल्लू रावत निवासी ग्राम सिर्स थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

i- मु0अ0सं0 220/2019 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ ।

03-.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 हर्ष वर्मा
2. का0 रोहित कुमार
3. का0 विपिन कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2376
दिनांक 28.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- निगोहां

- **धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सरगना को किया गया गिरफ्तार ।**
- **थाना निगोहां पुलिस टीम की सफलता ।**

कार्यवाही:-

थाना निगोहां पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के वांछित शातिर अभियुक्त (सरगना) **1. मलखान** पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बक्तौरीखेडा थाना निगोहां लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष को ग्राम बख्तौरी खेडा से हुलास खेडा मार्ग थाना निगोहां से गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण:-

- दिनांक 27.09.2025 को वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा सूचना दिया गया कि मलखान पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बख्तौरीखेडा मजरा मेहन्दौली थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ जो अनुसूचित जाति का है । मलखान द्वारा अपने खेत पर हालनुमा मकान बनवाया गया है जिसको चर्च (प्रार्थना सभा) के रुप में प्रयोग करता है ,जिसमें प्रत्येक रविवार व गुरुवार को क्षेत्र के भोले भाले अनुसूचित जाति के महिलाओं–बच्चों के रुप में भीड इकट्ठा करके बीमारी ठीक करने के नाम पर लालच व प्रलोभन देकर व चमत्कार का बहाना बताकर पैसों का लालच देकर चंगाई सभा का आयोजन कर क्षेत्र के भोले भाले अनुसूचित जाति के महिलाओं –बच्चों को **बपतिस्मा (ईसाई दीक्षा) देकर धर्मान्तरण** कराता है । कई लोगों का धर्मान्तरण करा चुका है । जिस वजह से गांव व समाज का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है ।
- उक्त सूचना पर थाना निगोहाँ पर मु0अ0स0-186/2025, धारा-3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021,बनाम-मलखान पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बख्तौरीखेडा मजरा मेहन्दौली थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ व अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर तत्काल पुलिस टीम गठित की गयी ।
- थाना निगोहां में गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार वांछित अभियुक्तगण की तलाश की गयी । आज दिनांक-28.09.2025 को ग्राम बख्तौरी खेडा से हुलास खेडा मार्ग से अभियुक्त मलखान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरणः-

- पूछतांछ मे जानकारी हुई कि अभियुक्त मलखान द्वारा हिन्दू धर्म को छोडकर ईसाई धर्म को अपना लिया गया है। मलखान द्वारा अपने बच्चों के तथा भतीजों के व परिवार के अन्य लोगों के नाम परिवर्तित कर क्रिश्चियन नाम रखे गये हैं।
- अभियुक्त मलखान **यीशू चंगाई सभा नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता** है जिसमें खासकर **अनुसूचित वर्ग** के लोगों को जोडा गया है।
- अभियुक्त मलखान द्वारा **चंगाई सभा के नाम** पर क्षेत्र के अनेक भोले भाले **अनुसूचित जाति के महिलाओं –बच्चों** को इकट्ठा कर उन्हे प्रलोभन देकर **बपतिस्मा (ईसाई दीक्षा) देकर धर्मान्तरण कराया गया है**। अभियुक्त मलखान को आज गिरफ्तार किया गया एवं ईसाई धर्म से संबन्धित वस्तुओं को बरामद किया गया। अभियुक्त मलखान उपरोक्त के आर्थिक स्त्रोतों के बारे में भी जाँच की जा रही है तथा धर्मान्तरण के शिकार हुए लोगों से संपर्क कर प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है।

अनावरित अभियोग-

1. 186/2025, धारा-3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1.मलखान पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम बख्तौरीखेडा मजरा मेहन्दौली थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ उम्र 43 वर्ष

बरामदगी–

1. दो किताब बाइबिल के सिद्धान्त
2. प्रचार-प्रसार की सामग्री।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना निगोहां कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम।
2.

नोट-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय द्वारा 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

08-गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का नाम व पता-

01निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ

02. उ0नि0 आशीष राजपूत थाना आशियाना लखनऊ।

03.उ0नि0 मनीष सिंह, थाना आशियाना लखनऊ।

04.उ0नि0 प्रतीक सिंह थाना आशियाना लखनऊ।

05. उ0नि0 अभिषेक कुमार, थाना आशियाना लखनऊ।

06. उ0नि0 आदर्श सिंह थाना आशियाना लखनऊ।

07.उ0नि0 सुनील कुमार यादव थाना आशियाना लखनऊ।

08. हे0का0 अमर सिंह थाना आशियाना लखनऊ।

09- गिरफ्तार करने वाली क्राइम टीम का नाम व पता-

01.उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह क्राइम टीम मध्य जोन लखनऊ।

02. हे0का0 दुर्गेश सिंह क्राइम टीम मध्य जोन लखनऊ।

03.हे0का0 आशीष मिश्रा क्राइम टीम मध्य जोन लखनऊ।

04.का0 अजय तेवतिया क्राइम टीम मध्य जोन लखनऊ।

05.का0 बलवन्त क्राइम टीम मध्य जोन लखनऊ।

पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिलों के चेसिस और इंजन नंबरों की जांच कर उनके वाहन स्वामियों का पता लगाया जा रहा है।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 374/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ पंजीकृत किया गया।

02-अन्य थानों से जुड़े मामले:

थाना मानकनगर में मु0अ0सं0 50/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

थाना कृष्णानगर में मु0अ0सं0 359/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

03-अपराध का तरीका-

शातिर व्यक्ति द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर औजार के माध्यम से गाड़ियो के लॉक तोड़कर चोरी करना व गैरकानूनी तरीके से बेच देना।

04-गिरफ्तार किए गए आरोपी के नाम व विवरण:

1. अंकित कुमार पुत्र स्व0हरपाल निवासी- ग्राम व पोस्ट मन्नूबास थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड उम्र 28 वर्ष।

05.अनावरित अभियोगों का विवरण

1. मुकदमा संख्या 514/2023 धारा 379 भादवि थाना आशियाना, लखनऊ
2. मुकदमा संख्या 311/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना, लखनऊ
3. मुकदमा संख्या 374/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना आशियाना, लखनऊ
4. मुकदमा संख्या 0050/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मानकनगर, लखनऊ
5. मुकदमा संख्या 359/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर, लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

06-बरामदगी का विवरण-

- Royal Enfield METEOR 350 काले रंग की जिसका रेजिस्ट्रेशन नंबर UP32QW1974, इंजन नं0 J3A5FGS2009385 व चेचिस नं0- ME3J3A5FGS2001522 है।
- काले रंग की बुलेट UP32JQ2827 जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP32NU6061 व चेचिस नं0 ME3J3C5FFP2016930 व इंजन नं0 J3A5FFP2135941 पाया गया।
- हॉण्डा साइन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP32JQ2827 व चेचिस नं0 ME4JC735MH8012305 व इंजन नं0 JC73E81029607 पाया गया है।
- एक अदद मोटरसाईकिल का लॉक तोडने का औजार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2379

दिनांक-28.09.2025

जोन -मध्य / थाना- आशियाना

थाना आशियाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही: वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त का पर्दाफाश।

- **01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, व 03 अदद मोटरसाइकिलें बरामद।**
- **मोटरसाईकिल लॉक तोड़ने का एक अदद औजार भी हुआ बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना आशियना क्षेत्रान्तर्गत हो रही वाहन चोरियों के संबध में प्राप्त शिकायतों/पंजीकृत अभियोगों के शीघ्र अनावरण/बरामदगी/घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त मध्य द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 27.09.2025 को थाना आशियाना, लखनऊ के प्रभारी निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में रजनीखण्ड बाजार तिराहे पर पुलिस टीम वाहनो की चेकिंग कर रही थी कि तभी मुखबिर खास ने बताया कि एक व्यक्ति नगर निगम जोन 08 की तरफ से रतनखण्ड पावर हाऊस की तरफ मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है जोकि चोरी की गयी मोटरसाइकिल है।

सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम रतनखण्ड पावर हाउस पर पहुंची, जहां उन्हें मोटरसाइकिल पर आता हुए व्यक्ति दिखाई दिया तब पुलिस वालो ने उसे रुकने का जैसे ही इशारा किया तो वह पुलिस वालो को देखकर भागने का प्रयास करने लगा पुलिस ने उसे एकबारगी दबिश देकर पकड़ लिया तथा पूछताछ की और उनके वाहनों के कागजात मांगे। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया पूछताछ और तलाशी में पता चला कि वह व्यक्ति एक शातिर चोर है जोकि अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल के लॉक को तोड़ने के औजार से इलाकों में घूम-घूम कर वाहन चोरी कर उन्हें अवैध रूप से बेचते थे।

पुलिस टीम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अंकित कुमार पुत्र स्व0 हरपाल निवासी- ग्राम व पोस्ट मन्नूबास थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड उम्र 28 वर्ष को हिरासत पुलिस लिया गया।

इस गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें थाना आशियाना में दर्ज मु0अ0सं0 514/2023 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 311/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ सहित कई अन्य थानों में दर्ज मामले भी शामिल हैं।